दस रुपये TEN RUPEES

11

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R-3808-I/14

प्रस्तुत 10-11-14 ...
10-11-14

प्रेरणा द्विवेदी पुत्री स्व. श्री रामदयाल पटैरिया पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश दुबे नायक मोहल्ला राजनगर हाल निवास अन्नपूर्णा रामलीला मैदान के सामने गल्ला मण्डी छतरपुर (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

1. विवेक कुमार पटैरिया
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा सक्षम अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

.-- अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–90/बी–3/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम सन् 1974 की धारा 42 के अन्तर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, धारक स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह तनय मूरत सिंह नायक द्वारा दिनांक 31.12.1974 को स्वंय तथा अपने परिवार के सदस्यों के अधिपत्य में धारित भूमि का विवरण प्रारूप–5 पर सजरा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। तत्कालीन सक्षम अधिकारी छतरपुर द्वारा इस प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण क्रमांक 1987 एवं 1570 वर्ष 74–75 आदेश दिनांक 02.02.1976 द्वारा सीलिंग अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत धारक श्री लक्ष्मण सिंह नायक द्वारा धारित भूमि 99.09 एकड अतिरिक्त घोषित किये जाने के प्रस्ताव जारी करने के आदेश किये गये।

10-11-14 K.K. Dwivedi

2. यहकि, उक्त आदेश के विरूद्ध धारक श्री लक्ष्मण सिंह नायक द्वारा सीलिंग अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अपनी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थीं। जो प्रकरण क्रमांक 334–II/76 पर पंजीबद्ध की जाकर आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3808-एक/2014 जिला छतरपुर प्रेरणा विरूद्ध विवेक व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-90/बी-3/1999-00 में पारित आदेश दिनांक 29-10-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 01/3/19	